




दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 218



सरोकार

पैड को खाद में बदल देगा
इंकोफ्रेडली 'मेन्स्यू वर्सर'
पठानकोट : पंजाब के पठानकोट जिले की दसवीं कक्षा की दो छात्राओं कृतिका और हरिंता ने अपनी शिक्षिका के मासिक्षिण में 'मेन्स्यू वर्सर'

नामक उपकरण बनाया है, जो इस्तेमाल ही चुके सेनेटरी पैड का समुदाय निस्तारण करता है। (पैज-11)

जागरण विशेष

'दुर्गा' के अवतार में एसडीएम शिवानी, माफिया बेहाल
गुना : मध्य प्रदेश के गुना जिले में युवा एसडीएम शिवानी गर्भ के नाम से माफिया को ढंग में पासीने छूट रहे हैं मिलावटखारों के खिलाफ 'एंटी माफिया' नाम से बड़ा अभियान छेड़ रखा है। (पैज-11)

न्यूज गैलरी

महासमर

दिल्ली में आप ने घोषित किए अपने सभी 70 प्रत्याशी
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदी पाटी ने मगलबार के सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पाटी ने 46 तर्मान विधायिकों को मैदान में तारा। उन 15 विधायिकों को टिकट किया है, जिन्हें पाटी कमेजर कड़ी मान रही थी। पाटी की ओर से इस बार नी नई वर्डे में हो गये। सीम अरविंद केंजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव लड़ेगा।

राज-नीति

सरकारी और निजी संरथानों में लागू होगा योग-ब्रेक
नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आयुष मंत्रालय से नए नवर पर ले जाना का फैसला किया है। इसी के चलते सरकारी संरथानों व कार्यालयों जल्द ही पांच मिनट का योग-ब्रेक अनिवार्य हो जाएगा। इस दौरान कमारियों को कुछ हल्की-फुल्की एवं रसाइज करने ही होंगी।

नेशनल न्यूज

गूगल और गांद्धारण पुलिस को सुवृत मुहैया कराएँ : हाई कोर्ट
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विधानसभा (जनसभा) के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर जेपर्न-प्रशासन, गूगल और गांद्धारण को निर्देश दिया कि 5 जनवरी को हुई हिसा मामले से जुड़े सभी सुवृत, सीसीटीवी फुटेज और डाटा पुलिस को उपलब्ध कराएं।

बिजनेस

थोक बाजार में भी सिर उठाने लगी कीमतें, बढ़ी महंगाई
नई दिल्ली : खाने पीने के सामान की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते लगी महंगाई फिर से रिक्त उठाने लगी है। दिसंबर, 2019 में थोक महंगाई की दर 2.59 फीसद हो गई। यह पिछले आठ महीनों में सर्वाधिक है। नवरात्र में थोक कीमतों पर आधारित महंगाई की दर 0.58 फीसद रही थी।

फंदे के और करीब निर्भया के गुनहगार

फैसला ► सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विनय व मुकेश की क्यूरीटिव व फांसी पर रोक की याचिका

सुप्रीम फरमान के बाद मुकेश ने दाखिल की राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका

जागरण व्यू. नई दिल्ली

पवन गुरुा व अक्षय ने नई दाखिल की बी शीर्ष अदालत में क्यूरीटिव याचिका

निचली अदालत ने सात जनवरी को जारी किया था चारों दोषियों का डेंग वारंट

तिहाई जेल में 22 जनवरी को दो जीनी हे चारों गुहारों को फांसी

दिल्ली दुर्कर्म कांड की पीड़िता निर्भया के गुनहगार फांसी के फंदे के और करीब पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मगलबार को दोषी विनय शर्मा (20) और मुकेश कुमार (32) को क्यूरीटिव याचिका पर रोक की अजीज खारिज कर दी। इस तरह कोर्ट ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने के फैसले पर फिर मुद्र लगा दी। क्यूरीटिव याचिका खारिज होने के बाद इन दोनों दोषियों के पास सिर्फ राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने के साथ लगान जरूरी है। इसके अलावा क्यूरीटिव याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश करते हैं। क्यूरीटिव याचिका पर खुली अदालत में खुलाई होनी वाली और अपने आदेश में कहा, उन्हें व्यापक राष्ट्रिय याचिका और अपने चौराजी वारंट के बाद इन दोनों दोषियों के देखा और पाया कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2002 के अंशोका जरूरत स्वास्थ्य को दर्शाएँ दिल्ली राष्ट्रिय याचिका पर विचार करने वाले न्यायाधीश करते हैं।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अंशोका रूपी हुई मामले में दिए फैसले में अंगूष्ठी अन्वय से बचाने के लिए मुकदमेवारों को क्यूरीटिव याचिका दाखिल करने के बहुत दिल्ली राष्ट्रिय याचिका के साथ लगान जरूरी है। इसके अलावा क्यूरीटिव याचिका पर सुनवाई करने के लिए विचार किया और याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, उन्हें व्यापक राष्ट्रिय याचिका और अपने चौराजी वारंट के बाद इन दोनों दोषियों के देखा और पाया कि वह मामला सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश करते हैं।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुमार सिंह (31) ने अपनी क्यूरीटिव याचिका भी दाखिल नहीं की है।

दिल्ली की निचली अदालत ने गत सात जनवरी को चारों दोषियों के खिलाफ डेंग वारंट कर दिया था। चारों को 22 जनवरी को दो दोषियों पवन गुरुा (25) व अक्षय कुम